Mail id :
govind.jaiswal@ias.nic.in
abhishek.singh87@gov.in

For Office Use Only

Ministry of Health & Family Welfare

Meta Data for Documents

Name of Division:

S.no	Item	Information to be Displayed
1.	Document title to be displayed on website	Recruitment Rules for the Post of Staff Car Driver (Special Grade).
2.	Division/Autonomous Body (Contact E-mail-id)	VBD Section
3.	Language (English)	English and Hindi
4.	Form of Document (e.g. pdf,doc,xls) (zip format not allowed)	DOC
5.	Reference URL or Detailed PDF	
6.	Validity	30 days
7	Name & Email-Id of Sender	Shoran Singh, Email id. shorn.singh27@gov.in
8	Section of Website, where it is to be uploaded	Programme/Reports/News & Highlights/Key Developments/Disease Alerts/Events & Announcements/Vacancies

- **It is Certified that the Content have been Checked . The Content need to be following (kindly tick the appropriate option):**

1. New [ ]
2.Update [ ]
3. Delete [ ]

Signature: Shoran Singh 23/11/21

Name of Nodal Officer: (शोरन सिंह) (SHORAN SINGH)

Designation: अवर सचिव / Under Secretary

Email-id: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय Ministry of Health & Family Welfare

Contact No: भारत सरकार / Govt. of India नई दिल्ली / New Delhi

Contents Approved by (JS/AS)

Signature: 29/XI/2021
Name: Dr. Harmeet Singh
Designation: JS/AS Jt. Secy.
Email-id: hs.grewal@nic.in
Contact No: 9910085844

For Uploading on Website

Level 1:

Level 2:

Level 3:

Level 4:

(Signature of Web Information Manager)

Uploaded on:

Uploaded by:

फाइल संख्या आई-92/2019 प्रशा.

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(वीबीडी प्रभाग)

विषय: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) हेतु स्टॉफ कार चालक-विशेष ग्रेड पद के भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी जन सूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं. एबी.14017/16/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) हेतु स्टॉफ कार चालक-विशेष ग्रेड पद के भर्ती नियमों की प्रारूप अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव श्री शोरन सिंह, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 753-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली–110008 को लिखित रूप में या ई-मेल पते shorn.singh27@gov.in and sovbdhfw@gmail.com पर भेज सकते हैं।

नई दिल्ली

दिनांक:

29/11/21

(शोरन सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं: 23061436

[भारत के राजपत्र, भाग II खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,

दिनांक..............,2021

सा.का.नि......राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद, 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जहां तक (i)चालक (ii) चालक-सह-मैकेनिक के पद का संबंध है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) , स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्टॉफ कार-चालक विशेष ग्रेड (समूह 'ख'पद) की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र, स्टॉफ कार चालक-विशेष ग्रेड (समूह 'ख'पद) भर्ती नियम, 2021है।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. **पद की संख्या,वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वहीं होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता- ऐसा कोई व्यक्ति,**

   (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, अथवा विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।